न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– मूल चन्द, आर.ए.एस.

अपील संख्या–164/2013/223 आर टी एक्ट

नबीशेर पुत्र श्री मुमताज खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलान्ट

बनाम

1–श्योराम
2–रतनसिंह
3–बुद्धराम
4–निहालसिंह
5–भादरराम

पि0 रामजस जाति जाट निवासी भादरा

6–रूकमा बेवा रामजस जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (फौत)

7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.09.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा जिला हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या 558/2013 बउनवानी श्योराम आदि बनाम नबीशेर आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 5

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7

निर्णय दिनांक 8.03.2019

1–प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट 1 ता 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण के दादा अगड़ीराम के नाम दीगर खातेदारी भूमि के साथ–साथ ख0 न0 557 की 54 बिघा 14 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि रोही भादरा में होने एवं अगड़ीराम की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता व वादिया संख्या 6 के पति के नाम व उनके फौत होने पर वादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गई जो वादीगण के कब्जा काश्त में है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने सहबन चक 15 जोगीवाला मु0 न0 3 के किला न0 5,6,7, 14 ता 17, व किला न0 24, 25 व मु0 न0 4 के किला न0 5,6 किसी मु0 मेहरो बेवा नजीर खां के नाम दर्ज कर दी एवं मु0 मेहरो ने जरिये दस्तबरदारी प्रतिवादी नबीशेर के नाम करवा दी। इस कारण भूप्रबंध विभाग को प्रविष्टि परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतू वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी नबीशेर का नाम कलमजन करने का अनुतोष चाहा जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.01.1987 को वाद आंशिक डिकी किया जिसके विरुद्ध अपील वादीगण एवं प्रतिवादी दोनो की तरफ से ...

निर्णय दिनांक 20.09.1997 से 3 तनकीयात और कायम कर वाद ने अपील में प्रस्तुत किए दस्तावेजात के अलावा अन्य कोई दस्तावेज पक्षकार पेश करना चाहे तो उन्हें रिकार्ड पर लिए जाकर नई मौखिक गवाही की आवश्यकता नहीं होने की अवधारणा पारित कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने पर विचारण न्यायालय ने वाद वादीगण डिकी किया जाकर वादीगण को प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 नबीशेर का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने का आदेश दिया है। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2–उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मिमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य का विवेचन किए बिना गलत रूप से पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि मु0 मेहरो जो अपीलान्ट की नानी थी की खातेदारी भूमि थी बिना मिलान क्षेत्रफल अथवा सूची न0 4 प्रस्तुत हुए एवं सैटलमैन्ट में मु0 मेहरो के नाम दर्ज होनी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत मानी है एवं तनकी नम्बर 1 का निर्णय बहक वादीगण गलत किया है स0 2019 की सर्वे खसरा में मु0 मेहरो के नाम प्रश्नगत भूमि दर्ज है। मौखिक साक्ष्य वाद में अंकित कथनों को सिद्ध नहीं करते है जो तनकीयात पूर्व में आरएए ने बनाई थी उस पर निर्णय पारित नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय मात्र कयास के आधार पर पारित किया है जिसे खारिज किऐ जाने का कथन किया अपने कथनो के समर्थन में अपीलान्ट अधिवक्ता ने 1997 (2) पेज 986, 1992 आरआरडी पेज 114, 2009 (3) सीसीसी पेज 133, आरएलडब्ल्यू 2004 (2) एससी पेज 280 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर दावा खारिज किये जाने का कथन किया।

4–विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा जमाबंदी स0 2010 से 2013 पेश की है एवं वादीगण के दादा के नाम की ख0 न0 557 की खातेदारी भूमि होना सिद्ध होती है मु0 मेहरो का नाम सैटलमेन्ट के द्वारा ही दर्ज किया है सैटलमेन्ट की जमाबन्दी जो पेश हुई है उससे पूर्व मेहरो के नाम प्रश्नगत भूमि हो कोई रिकार्ड अपीलान्ट ने प्रस्तुत नहीं किया जबकि रेस्पो0 ने प्रदर्श 2 पर्चा खतौनी पेश की है जिसमें पूर्व ख0 न0 557 से हाल जो भूमि बनी है उसका विवरण दर्ज है पूर्व में दावा में 2 तनकियात थी जो राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय से तीन तनकियात और कायम की थी अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकी पर सविस्तार सही निर्णय पारित किया है अपील खारिज किऐ जाने का कथन किया अपने कथनो के समर्थन में 2009 आर आर टी (2) पेज 954, 1990 आरआरडी पेज 691 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5–उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6–रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अपीलान्ट/प्रतिवादी ने विरूद्ध पेश किया था जो पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा 28.01.1987 को डिकी किया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट व रेस्पो0 ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.1997 से प्रकरण में तीन नई तनकीयात कायम कर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि तनकीवार फैसला किया जावे पक्षकारान के प्रस्तुत गवाह के ब्यानों का अध्ययन व विवेचन कर निर्णय लिखा जावे कोई दस्तावेज पक्षकार और पेश करना चाहे तो रिकार्ड पर लिए जावे नई मौखिक गवाही की आवश्यकता नहीं है। जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय तनकी वाईज किया है अपीलान्ट ने मुख्य रूप से यह कथन किए है कि प्रश्नगत भूमि सैटलमेन्ट से पहले भी उनके नाम थी। एवं वादीगण ने खसरा मिलान पूर्व भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
अपील अधिकारी हनुमानगढ़

विचारण न्यायालय ने निर्णय में समस्त तनकीयात पर पृथक–पृथक विवेचन कर निर्णय पारित किया है वाद में प्रथम तनकी यह थी कि"आया कि चक 15 जोगीवाला के मु0 न0 3 के किला न0 5 से 7, 14,17 व मु0 न0 4 के किला न0 5,6, कुल 9 किला भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है"जिसका सिद्ध भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा जो जमाबन्दी स0 2010 से 2013 प्रदर्श 1 पेश की है उसमें वादीगण के दादा अगड़ीराम का नाम दर्ज है एवं ख0 न0 557, 559 की भूमि भी दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि में से अधिकांश भूमि इन्हीं से बनी है एवं पर्चा खतौनी प्रदर्श– 2 प्रस्तुत हुई हैं जिसमें अगड़ी का नाम अंकित एवं ख0 न0 557, 559 भी दर्ज है एवं गवाह श्योराम ने भी उक्त भूमि अपनी मौखिक साक्ष्य में अपनी कब्जा में होना साबित किया है स्वतंत्र गवाह के रूप में पी डब्लयू 2 अली मोहम्मद पेश हुआ जो 60 वर्ष की उम्र का ब्यान के वक्त था जिसने भी यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने प्रश्नगत भूमि पर मु0 मेहरो व नबीशेर का कभी कब्जा काश्त नहीं देखा यही कथन पी डब्ल्यू 3 हेमराज करता है। जबकि प्रतिवादी/अपीलान्ट नबीशेर के ब्यान एवं डी डब्ल्यू 2 आदराम के ब्यान हुए है। प्रतिवादी नबीशेर अपने ब्यान में यह कहता है कि उसके पास इस जमीन के पुराने ख0 न0 के कागजात नहीं है यह जमीन कौनसे ख0 न0 से बनी उसे पता नहीं। उसने इस जमीन को झण्डू कुम्हार से उंट लेकर काश्त करना बताता है परन्तु झण्डू कुम्हार को सहादत में पेश नहीं किया इसी प्रकार दूसरा गवाह जो आदराम है खेत पड़ौसी काश्तकार नहीं है वह अपना खेत डेढ मु0 दूर होना बताता है। वह ट्रैक्टर से काश्त करना कहता है एवं नबी शेर को पाड़ करते हुए नहीं देखा कहता है। इस प्रकार इस गवाह से प्रतिवादी/अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना सिद्ध होता है। प्रदर्श 3 जमाबन्दी जो भूप्रबन्ध विभाग के समय की है पेश हुई है उससे पूर्व की कोई जमाबन्दी मु0 मेहरो के नाम की प्रस्तुत नहीं हुई है जिससे वाद भूमि सैटलमेन्ट से पूर्व उनके नाम दर्ज हो सिद्ध नहीं होता है। जबकि वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने वाद में अंकित तथ्यों को सिद्ध किया है विचारण न्यायालय द्वारा जो तनकी न0 1 में विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकी न0 1 का निर्णय बहक वादीगण निर्णित किया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7–जहां तक तनकी नम्बर 2 का प्रश्न है जो यह थी कि"आया मु0 मेहरा ने वादग्रस्त भूमि सैटलमेन्ट के दौराने अपने नाम दर्ज करवा दी?"जिसका सिद्ध भार भी वादीगण पर था विचारण न्यायालय ने सैटलमेन्ट से सम्बन्धित जमाबन्दी जो प्रदर्श 3ए प्रस्तुत हुई है में मेहरो का नाम दर्ज होने के आधार पर एवं इससे पूर्व का कोई अभिलेख उनके नाम दर्ज नहीं होने एवं पत्रावली पर वादी द्वारा जो अपने कथनो के समर्थन में दस्तावेज पेश किए है उसके खण्डन स्वरूप साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के आधार पर एवं सैटलमेन्ट को पूर्व प्रविष्टियों को तब्दील करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर आर आर टी 2009 (2) पेज 954 में प्रतिपादित सिद्धांतो को मध्य नजर रखकर विवादक संख्या 2 का निर्णय बहक वादीगण/रेस्पो0 निर्णित किया है वह उचित प्रतीत होता है।

8–विवादक संख्या 3 यह था कि "आया वादग्रस्त भूमि सैटलमेन्ट व चक बन्दी से पहले के खसरा संख्या 557 की भूमि थी?"जिसको सिद्ध करने का भार भी वादीगण/रेस्पो0 पर था जिसमें विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श 1 जमाबन्दी स0 2010 से 13 व प्रदर्श 2 पर्चा खतौनी में दर्ज वादी के पूर्वज अगड़ी राम नाम होने से एवं पर्चा खतौनी में ख0 न0 557, 559 दर्ज होने के आधार पर तनकी नम्बर एक में किये विवेचन एवं विश्लेषण कर इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण सही रूप से विचारण न्यायालय ने निर्णित किया है।

9–विवाधक संख्या 4 का सिद्ध भार प्रतिवादी पर था ऐसा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष या अपील स्तर पर पेश नहीं हुआ जिससे यह माना जा सके की वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई लॉकस स्टेण्डी नहीं हो एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

88 के तहत उदघोषणा के वाद हेतू कोई मियाद भी निर्धारित नहीं है इस कारण तनकी न0 4 का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित करने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है

10– इस प्रकार उक्ताधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रतीत होती है एवं अपील अपीलान्ट खारिज योग्य बनती है।

11– अतः उक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा का निर्णय दिनांक 27.09.2013 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

08/3/19

मूल चन्द (आर0 ए0 एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़